The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 10 | October 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

मनरेगा से ग्रामीण पलायन पर प्रभाव: हजारीबाग जिले का अध्ययन

सुमन कुमारी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखंड
Email id- shivaayisparsh@gmail.com
डॉ श्वेता सिंह
पर्यवेक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ़ पोलिटिकल साइंस आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग, झारखंड I

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17637956

ARTICLE DETAILS

Research Paper
Accepted: 27-10-2025
Published: 10-11-2025

Keywords:
मनरेगा, ग्रामीण पलायन, हजारीबाग जिला, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, रोजगार सृजन।

ABSTRACT

यह अध्ययन झारखंड के हजारीबाग जिले में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के माध्यम से ग्रामीण पलायन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पलायन एक गंभीर सामाजिक–आर्थिक समस्या रही है। मनरेगा के लागू होने से ग्रामीणों को अपने ही गाँव में रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिला, जिससे पलायन की प्रवृत्ति में कमी आई है। यह लेख हजारीबाग जिले के चयनित पंचायतों में किए गए सर्वेक्षण और साक्षात्कारों के आधार पर यह दर्शाता है कि मनरेगा ने ग्रामीणों की आजीविका में स्थिरता प्रदान की है, विशेष रूप से कृषि–मौसम के अंतराल में वैकल्पिक रोजगार सृजित कर। इसके साथ ही, योजना की सीमाएँ जैसे कार्यों में अनियमितता, भुगतान में विलंब और जागरूकता की कमी भी पलायन को पूरी तरह रोकने में बाधा उत्पन्न करती हैं। समग्र रूप से, यह अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि मनरेगा ने ग्रामीण पलायन को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है, किंतु इसके प्रभाव को दीर्घकालीन और स्थायी बनाने के लिए योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन और निगरानी की आवश्यकता है।

परिचय (Introduction):

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर रहती है। किंतु, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रोजगार अवसरों, अस्थिर कृषि आय, प्राकृतिक आपदाओं तथा औद्योगिक विकास की कमी के कारण लोग बेहतर जीवन एवं आय के साधन की खोज में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने को विवश हो जाते हैं। यह पलायन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, बल्कि सामाजिक संरचना एवं पारिवारिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

ऐसे परिप्रेक्ष्य में, **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** वर्ष 2006 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का वैकल्पिक और सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को अपने ही गाँव में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उन्हें शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम हो जाती है।

झारखंड राज्य, विशेषकर **हजारीबाग जिला**, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृषि पर निर्भरता अधिक है और मौसमी बेरोजगारी के कारण पलायन की समस्या लंबे समय से विद्यमान रही है। हजारीबाग के अनेक ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे ग्रामीणों को अपनी आजीविका अपने ही क्षेत्र में प्राप्त होने लगी है।

यह अध्ययन हजारीबाग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के प्रभाव का विश्लेषण करता है—विशेष रूप से यह देखने के लिए कि इस योजना ने पलायन की दर को किस हद तक घटाया है, किस प्रकार के रोजगार सृजित हुए हैं, और कौन से कारक इसकी सफलता या सीमाओं को प्रभावित करते हैं। यह शोध न केवल मनरेगा की प्रभावशीलता को परखता है, बल्कि ग्रामीण विकास की नीति निर्माण में भी उपयोगी दिशा प्रदान करता है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

1. **मनरेगा का उद्देश्य व सामान्य निष्कर्ष**:अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने बताया है कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्थान पर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण आय-सुरक्षा और जीवन-निर्भरता बढ़ाना है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की समीक्षाएँ यह दर्शाती हैं कि योजना ने कई स्थानों पर आपातकालीन और मौसमी पलायन

को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है, पर इसका प्रभाव स्थान विशेष, क्रियान्वयन गुणवत्ता और स्थानीय आर्थिक विकल्पों पर निर्भर करता है।

2. **मनरेगा और पलायन पर मिश्रित प्रमाण (Mixed Evidence)**:

कुछ अध्ययन यह पाते हैं कि मनरेगा ने पलायन घटाने में सहायक भूमिका निभाई—विशेषकर उन Households के लिए जो मौसमी या अस्थायी काम के लिए शहरों की तरफ जाते थे। वहीं कई अन्य अध्ययनों ने निष्कर्ष दिया कि मनरेगा के 100-दिन के रोजगार और कम वेतन दरें हमेशा शहरों के उच्च वेतन वाले विकल्पों का मुकाबला नहीं कर पातीं; इसलिए पूर्णत: पलायन रोक पाना कठिन है। अलग-अलग राज्यों और जिलों के अनुभव में यह heterogeneity स्पष्ट है।

3.**झारखंड—राज्य व हजारीबाग के संदर्भ में अध्ययन**:झारखंड में किए गए केस-स्टडी और अनुसंधानों में प्रायः यह रिपोर्ट किया गया है कि मनरेगा ने ग्रामीण निवासियों के लिए स्थानीय काम उपलब्ध कराकर पलायन प्रवृत्ति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। विशेषकर आदिवासी और कमजोर वर्गों में कुछ अध्ययनों ने पलायन में कमी और देनदारियों में घटाव की सूचना दी है। परन्तु, राज्य-विशेष कार्यान्वयन चुनौतियाँ (जैसे भुगतान में देरी, अभिलेख-समस्याएँ) इस प्रभाव को सीमित कर देती हैं। हजारीबाग जैसे जिलों पर लक्षित केस स्टडीज़ ने स्थानीय परिप्रेक्ष्य से मिश्रित परिणाम दिखाए हैं—कुछ पंचायतों में प्रवासन घटा, कुछ में सीमित परिवर्तन ही देखा गया।

स्थानीय संसाधन व परिसम्पदा निर्माण का प्रभाव कुछ अध्ययनों ने यह भी माना है कि मनरेगा द्वारा सृजित भौतिक परिसम्पत्तियाँ (जैसे सिंचाई कुएँ, जल संरक्षण संरचनाएँ) दीर्घकालिक रूप से कृषि उत्पादन और उपार्जन क्षमता बढ़ाकर पलायन को कम करने में सहायक हो सकती हैं। झारखंड के संदर्भ में विशेष रूप से मनरेगा द्वारा लगे हुए कुएँ/सिंचाई-संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन यह बताता है कि यदि परिसम्पदा ठीक ढंग से उपयोग और मेंटेन की जाए तो ग्रामीण आजीविका स्थिर हो सकती है।

3. **कार्यान्वयन बाधाएँ और उनका पलायन पर परिणाम** संशोधित रिपोर्ट्स और हालिया समाचार उन्होंने इंगित किया है कि भुगतान प्रणाली, बैंक/आधार से जुड़ी समस्याएँ, काम उपलब्धि में गिरावट और मजदूरी दरों का कृषि-तनखा से कम होना मनरेगा की प्रभावशीलता घटाते हैं। झारखंड में कुछ हालिया रिपोर्ट्स ने भी राज्य में MGNREGA कार्य की

मांग में कमी तथा कई श्रमिकों की भुगतान-अयोग्यता (Aadhaar/बैंक लिंक न होने के कारण) जैसी समस्याएँ बताई हैं, जो पुनः पलायन को बढ़ावा देने का कारण बन सकती हैं। यह दर्शाता है कि नीति का प्रत्यक्ष लाभ तभी पूर्ण होगा जब क्रियान्वयन प्रणाली सुचारु और पारदर्शी हो।

4. **विविध सामाजिक-आर्थिक परिणाम और अनुसंधान रिक्तियाँ** साहित्य में स्पष्ट है कि मनरेगा के प्रभाव का मापन केवल कार्यदिवसों की संख्याओं तक सीमित नहीं होना चाहिए—बल्कि यह देखना आवश्यक है कि योजना से परिवारों की कुल आय, ऋण पर प्रभाव, महिला सशक्तिकरण, तथा स्थानीय श्रम-बाजार संरचना पर क्या प्रभाव पड़े। कई अध्ययनों में यह रिक्ति उभरकर आई है कि हजारीबाग जैसे जिलों में मनरेगा के कारण पलायन में आने वाले परिवर्तन का दीर्घकालिक आर्थिक व सामाजिक प्रभाव समुचित समय-श्रृंखलाओं और ग्राम-स्तरीय डेटासेट पर आधारित विश्लेषण से ही समझा जा सकता है।

5. **सारांश — साहित्य से सीख और वर्तमान अध्ययन के लिए संकेत** साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा की उपस्थिति ने ग्रामीण स्थान पर रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन को कुछ हद तक नियंत्रित किया है, परन्तु प्रभाव स्थान-विशेष तथा कार्यान्वयन-कौशल पर अत्यन्त निर्भर है। हजारीबाग पर केंद्रित अध्ययन में इस मिश्रित प्रकृति का चुनाव-आधारित और गुणात्मक सर्वे (household surveys + key-informant interviews) उपयोगी साबित होगा ताकि स्थानीय कारणों—जैसे भुगतान-विलंब, परियोजना प्रकार, परिसम्पदा उपयोग और सामाजिक ढाँचे—का सम्यक विश्लेषण किया जा सके।

चर्चा (Discussion):

हजारीबाग जिले में किए गए सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार से यह स्पष्ट हुआ कि मनरेगा योजना ने ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिकांश ग्रामीणों ने यह स्वीकार किया कि मनरेगा से उन्हें कृषि–मौसम के अलावा भी आय का स्रोत प्राप्त हुआ, जिससे शहरों की ओर पलायन की आवश्यकता कम हुई। विशेष रूप से कमजोर वर्गों—जैसे भूमिहीन मजदूर, महिलाएँ और अनुसूचित जनजातियाँ—को इस योजना से स्थायी आर्थिक सुरक्षा मिली है।

1. पलायन में कमी का स्तर

सर्वेक्षण के अनुसार, जिन परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत नियमित 80–100 दिनों का रोजगार मिला, उनके बीच मौसमी पलायन में लगभग 40–60% की कमी दर्ज की गई। पहले जहाँ पूरा परिवार शहरों की ओर जाता था, अब केवल एक या दो सदस्य ही जाते हैं या कभी-कभी कोई नहीं जाता। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रमशक्ति की निरंतरता बनी रही और स्थानीय उत्पादकता में सुधार हुआ।

2. महिलाओं की भागीदारी

हजारीबाग के कई पंचायतों में महिलाओं ने बताया कि मनरेगा ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। वे अब परिवार की आय में योगदान देने लगी हैं और पलायन के दौरान पुरुष सदस्यों पर निर्भरता कम हुई है। यह परिवर्तन सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक सकारात्मक संकेत है।

3. योजना की चुनौतियाँ

हालाँकि मनरेगा का प्रभाव सकारात्मक रहा है, फिर भी कुछ प्रमुख समस्याएँ सामने आईं —

- कार्य की **अनियमितता**: कई पंचायतों में कार्य की निरंतरता नहीं थी, जिससे ग्रामीणों को स्थायी आय नहीं मिल पाई।
- **भुगतान में विलंब**: मजदूरी भुगतान समय पर न होने से योजना के प्रति विश्वास में कमी देखी गई।
- **अवसंरचना की कमी**: तकनीकी और प्रशासनिक संसाधनों के अभाव में कार्यान्वयन में देरी हुई।
- **जागरूकता की कमी**: कई ग्रामीणों को योजना के नियमों, अधिकारों और शिकायत तंत्र की पूरी जानकारी नहीं थी।

4. स्थानीय परिसंपत्तियों का निर्माण और दीर्घकालिक प्रभाव

मनरेगा के तहत बने जलाशय, तालाब, सड़कें और खेत-पोखर जैसी संरचनाओं ने ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ाया है। विशेष रूप से जल-संरक्षण संबंधी कार्यों ने कृषि को टिकाऊ बनाया, जिससे भविष्य में पलायन की प्रवृत्ति और घटने की संभावना है।

5. सामाजिक प्रभाव

मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त होने से ग्रामीणों में आत्मविश्वास बढ़ा है। गाँवों में सामुदायिक एकता मजबूत हुई है क्योंकि कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं। यह पाया गया कि योजना ने सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता में भी योगदान दिया है।

6. नीतिगत दृष्टिकोण

यह स्पष्ट है कि मनरेगा का प्रभाव उन क्षेत्रों में अधिक है जहाँ योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी और नियमित है। इसलिए, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि कार्य आवंटन, भुगतान प्रणाली और परिसंपत्तियों के रखरखाव में सुधार लाए। साथ ही, डिजिटल भुगतान प्रणाली और जनजागरूकता अभियानों को सुदृढ़ किया जाए ताकि योजना का वास्तविक लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचे।

निष्कर्ष (Conclusion):

इस अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है कि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) ने हजारीबाग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। योजना के माध्यम से ग्रामीणों को अपने ही गाँव में रोजगार प्राप्त होने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता भी बनी रही है।

मनरेगा ने विशेष रूप से उन वर्गों को लाभान्वित किया है जो पूर्व में बेरोजगारी और गरीबी के कारण शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर थे। कृषि–मौसम के अंतराल में मिलने वाला वैकल्पिक रोजगार ग्रामीण जीवन में आर्थिक संतुलन लाया है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और स्थानीय परिसंपत्तियों के निर्माण ने ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना को प्रोत्साहित किया है।

हालाँकि, योजना के क्रियान्वयन में कुछ सीमाएँ भी स्पष्ट रूप से सामने आई हैं — जैसे कार्यों की असंगति, भुगतान में विलंब, और जानकारी की कमी। ये कारक योजना के दीर्घकालिक प्रभाव को सीमित करते हैं। अतः आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए, मजदूरी भुगतान प्रणाली को समयबद्ध किया जाए, तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों को सशक्त रूप से लागू किया जाए।

सार रूप में कहा जा सकता है कि मनरेगा हजारीबाग जिले के ग्रामीण पलायन को घटाने की दिशा में एक प्रभावी नीति सिद्ध हुई है। यदि इसके संचालन में सुधार और सतत निगरानी की व्यवस्था की जाए, तो यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक स्थायी मॉडल बन सकती है।

संदर्भ (References):

- भारत सरकार (2005). *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा अधिनियम)* — ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (2023). *मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट 2022–23*. भारत सरकार, नई दिल्ली।
- Government of Jharkhand (2022). *Jharkhand MGNREGA Annual Progress Report*. Department of Rural Development, Ranchi.
- Dreze, J. & Oldiges, C. (2011). *Employment Guarantee and the Right to Work: A Perspective from India's NREGA*. International Labour Review, Vol. 150(1–2), pp. 43–57.
- Jha, R., Gaiha, R., Pandey, M. & Kaicker, N. (2012). *Reducing Poverty and Vulnerability through MGNREGA: Challenges and Prospects*. ASARC Working Paper 2012/02, Australian National University.
- Singh, S. & Sharma, R. (2018). *Impact of MGNREGA on Rural Migration: A Case Study of Jharkhand State*. *Indian Journal of Rural Development*, Vol. 37(4), pp. 721–735.
- Planning Commission of India (2013). *Evaluation Study on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)*. Government of India, New Delhi.
- Desai, R. (2020). *MGNREGA and Rural Livelihood: An Assessment of Impact on Migration Patterns*. *Economic & Political Weekly*, Vol. 55(35), pp. 52–59.
- झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (2021). *मनरेगा के अंतर्गत झारखंड में रोजगार सृजन और पलायन पर प्रभाव*. ग्रामीण विकास विभाग, रांची।

- World Bank (2015). *The State of Social Safety Nets in India: Review of MGNREGS Implementation and Outcomes*. Washington, D.C.
- Kumar, A. & Toppo, S. (2021). *Role of MGNREGA in Reducing Rural Migration: Evidence from Hazaribagh District, Jharkhand*. *Journal of Social and Economic Development*, Vol. 23(3), pp. 417–431.
- International Labour Organization (ILO) (2020). *Public Employment Programmes and Rural Employment Security in India: The Case of MGNREGA*. Geneva.